

वेदम 4.5.18 का लोक अदालत में पेश है

राजस्थान लोक अदालत / कोर्ट केम्प  
स्थान: म०५१ दिनांक: 4/5/18

पत्रादेशी राज राजस्थान लोक अदालत अभियान  
केम्प: म०५१ पर पेश हुयी।  
पक्षकार उन्निहित / अनुपस्थित है। प्रकरण  
में सहमति का अभाव है। अतः नियमित  
सुनवाई हेतु दि. 13-7-18 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
रामगंजनण्डी

पुनः-च वन्नीक वादी उपर ही सुना गया  
पत्रादेशी का आक्षेपान्ता मनग अवगोहन  
क्रिया गया। हम्ब नकल जमाबंदी ग्राम  
म०५१ सँ. 2012-75 खाता नं. 247 पर दही  
खेत नं. 680 (फव) 1.62 हेक्टर का  
वादी अभिलिखित खातेदार है/अपनी  
वादगत भूमि है संबंध में वादी की  
हैलियत धारा 5 की उपधारा 43 में

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम के में ज
	<p>           परिष्कृत तथा धारा 14 R.O. 1975 में            वर्जित स्वतंत्र भासाभी नी है            लहरी नदाल रामगंज मठ की धारा            सं. 6/15 रामनालय वनाम देवलाल            में निर्णय दि. 18.10.15 का पारित            किया जाकर वारी का वादगत भूमि            पर जज के आदेश पारित किया            गया है उक्त निर्णय की पालना में            वारी का दि. 5.5.16 का भूमि का            जज का संभलया जा चुका है निर्णय            लहरी नदाल मठ की एवं दि. 5.5.16            का वादगत भूमि पर रिय            गया दावनाम की धारा शर्त का है।            धारा में दो लख लय है एक            की वारी वादगत भूमि का अभिलिखित            स्वतंत्र है, तथा दो कि वादगत भूमि            पर वारी का जज संभलया जा चुका            है।            धारा में वादगत भूमि ल            धारा वारी का कोई सरोकार है।            धारा व धारा नही है, ऐसी धारा            में यदि धारा वारी का            जज का मत में जज मदावलाल            मजाहमत की जाती है, तो इस         </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------

वादी को ऐसी शर्त से बाध्य है, जिसका  
मुद्दा के रूप में मूल्यांकन से बाध्य ही  
नहीं हो। अर्थात् वादी को प्रतिवादीगण  
के हित से अपरिचित शर्त होना -  
से बाध्य है।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक  
विवेचनोपान्त हम वाद वादी को  
अंशतः स्वीकार योग्य पाते हैं।

अतः वाद वादी अंशतः स्वीकार किया  
जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि  
प्रतिवादीगण को अर्थात् स्पष्ट विवेचना  
पाबंद किया जाता है, कि वे वाद  
ग्राम मण्डा लहर रामगंज मण्डी की इमि  
खत नं. 680 एकड़ 1.62 हेक्टर पर  
वादी के कब्जे कारत में मंडावल्लल  
मजाहमत न ला स्वयं कहे आते  
न अर्थात् प्रतिनिधि कएवे। तदनु-  
सार डिफ्टी मुलिख हो। पभावली  
बाद लामिण लकमीण व लामिण कएल  
शुभाह लोकट राठ दठ हो।

(छूटा) गोपाल जौजम  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

निर्णय आठ दिठ पाडाक का लोक अदालत  
केम्प मण्डा पर खुनाया।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी